

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/2021/ 10645

जबलपुर, दिनांक 10/11/2021

“आदेश”

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 932/स्था/अराज/संचिशि/2019, भोपाल दिनांक 24/08/2019 के तहत नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति जारी दिशा निर्देशानुसार पद पदपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर स्कूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर कर्मियों को प्रथम तीन माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक रु. 10000/- पर नियुक्त कर 03 माह पश्चात् परीक्षा ली जाने के उपरांत नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किये जाने के निर्देश हैं। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के तहत शासकीय सेवा में सीधी भर्ती में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 03 वर्ष की परिवीक्षावधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पदों में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रथम तीन माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक रु. 10000/- पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

संभागायुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एवं एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एवं एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को उनके पद की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के एवज में नियुक्ति दिनांक से प्रथम 03 माह पारिश्रमिक रु. 10000/- को निरस्त करते हुए प्रथम नियुक्ति दिनांक से मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के तहत शासकीय सेवा में सीधी भर्ती में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 03 वर्ष की परिवीक्षावधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में प्रदान किया जाता है नियुक्ति दिनांक से 03 माह के लिये 10000/- रु. पारिश्रमिक वेतन को कर्मचारियों के स्टायपेंड के रूप में देय वेतन में समायोजित किया जाता है।

क्रमांक	पदनाम	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	4300 / 15.05.2021, 4301 / 15.05.2021, 4302 / 15.05.2021, 4303 / 15.05.2021, 4304 / 15.05.2021, 4305 / 15.05.2021, 4306 / 15.05.2021, 4307 / 15.05.2021, 4308 / 15.05.2021
2.	रेडियोथैरेपी टेक्नीशियन	4285 / 15.05.2021, 4286 / 15.05.2021, 4288 / 15.05.2021, 4289 / 15.05.2021, 4291 / 15.05.2021, 4292 / 15.05.2021, 4297 / 15.05.2021, 6391 / 24.06.2021
3.	डायलिसिस टेक्नीशियन	4283 / 15.05.2021, 4282 / 15.05.2021, 4281 / 15.05.2021, 4280 / 15.05.2021, 4279 / 15.05.2021, 4278 / 15.05.2021, 4275 / 15.05.2021, 4277 / 24.06.2021, 4276 / 15.05.2021, 4274 / 15.05.2021
4.	ओ.टी. टेक्नीशियन	4186 / 15.05.2021, 4185 / 15.05.2021
5.	रिफ्रेक्शनिस्ट	4184 / 15.05.2021
6.	ऑर्थो टेक्नीशियन	4183 / 15.05.2021
7.	ईसीजी टेक्नीशियन	4258 / 15.05.2021, 4259 / 15.05.2021, 4256 / 15.05.2021, 6404 / 24.06.2021, 6405 / 24.06.2021, 6406 / 24.06.2021, 8723 / 09.09.2021
8.	लैब असिस्टेंट	4240 / 15.05.2021, 4241 / 15.05.2021, 4239 / 15.05.2021, 4242 / 15.05.2021, 4246 / 15.05.2021, 6394 / 24.06.2021
9.	ओटी अटेंडेंट	4267 / 15.05.2021, 4269 / 15.05.2021, 4265 / 15.05.2021, 6399 / 24.06.2021
10.	लैब अटेंडेंट	4198 / 15.05.2021, 4197 / 15.05.2021, 4194 / 15.05.2021, 4195 / 15.05.2021, 4196 / 15.05.2021, 4190 / 15.05.2021, 4191 / 15.05.2021, 4207 / 15.05.2021, 4204 / 15.05.2021, 4205 / 15.05.2021, 4206 / 15.05.2021, 4201 / 15.05.2021, 4203 / 15.05.2021, 4202 / 15.05.2021, 4199 / 15.05.2021, 4224 / 15.05.2021, 4222 / 15.05.2021, 4221 / 15.05.2021, 4219 / 15.05.2021, 4213 / 15.05.2021, 4215 / 15.05.2021, 4226 / 15.05.2021, 4225 / 15.05.2021, 4210 / 15.05.2021, 4212 / 15.05.2021, 4217 / 15.05.2021, 4236 / 15.05.2021, 4234 / 15.05.2021, 4235 / 15.05.2021, 4233 / 15.05.2021, 5784 / 08.06.2021, 6384 / 24.06.2021, 6385 / 24.06.2021, 8720 / 09.09.2021
11.	एनेस्थिसिया टेक्नीशियन	4177 / 15.05.2021 4176 / 15.05.2021, 4175 / 15.05.2021
12.	एक्स-रे टेक्नीशियन	4178 / 15.05.2021
13.	लैब टेक्नीशियन	4179 / 15.05.2021
14.	स्टाफ नर्स	7187 / 22.07.2021, 7228 / 23.07.2021, 7260 / 24.07.2021, 7863 / 12.08.2021, 7866 / 12.08.2021, 7950 / 16.08.2021, 8045 / 19.08.2021, 8195 / 26.08.2021, 8191 / 26.08.2021,

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाषचंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर।
3. संचालक सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त नियुक्ति आदेशों के तहत आपकी स्थापना में पदस्थ कर्मचारियों का 03 माह 10000/- राशि समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त नियुक्ति आदेशों के तहत आपकी स्थापना में पदस्थ कर्मचारियों का 03 माह 10000/- राशि समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
5. अधीक्षक, कैंसर चिकित्सालय जबलपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त नियुक्ति आदेशों के तहत आपकी स्थापना में पदस्थ कर्मचारियों का 03 माह 10000/- राशि समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त विभागाध्यक्ष की ओर।
7. को-ऑर्डिनेटर, पैरामेडिकल सेल, मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
9. मैट्रन मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
10. स्थानीय लेखा शाखा की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त नियुक्ति आदेशों के तहत मेडिकल कॉलेज जबलपुर की स्थापना में पदस्थ कर्मचारियों का 03 माह 10000/- राशि समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
11. वेबसाइट पर अपलोड/सूचना पटल पर चरपा हेतु।

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाषचंद्र बोस
मेडिकल कॉलेज जबलपुर